प्रेषक.

अनीता सिंह. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक:07 फरवरी, 2020

विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड (पी०आई०जी०एफ०) से कराये जाने के संबंध में।

महोदय.

आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना का शुभारम्भ ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा कर सम्पूर्ण स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उददेश्य से किया गया था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी योजना की मार्ग-निर्देशिका के बिन्दु संख्या-5.8 पर सामुदायिक शौचालय परिसरों के निर्माण किये जाने की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या—एस—18020/91/2016-SBM दिनांक 31.07.2019 एवं दिनांक 10.10.2019 तथा उ०प्र० शासन द्वारा जारी संलग्न पत्र संख्या—2128/33—3—2019—1307 ए०सी० एस0पी0आर0 / 2018 दिनांक 13.09.2019 एवं पत्र संख्या-83 / 2018 / 3377 / 33-3-2018- 110/2012 दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 का भी संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त भारत सरकार की निर्गत मार्ग-निर्देशिका, पत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार योजनान्तर्गत सभी परिवारों के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन लोगों के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से हाशिये पर हैं एवं जो कठिन स्थानों में निवास करते है। जोकि मुख्यतः अनुसूचित जाति / जनजाति से सम्बन्धित है। जिस कारण अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य आबादी वाले गांवों में सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण कराया जाना श्रेयस्कर है ताकि सभी प्रकार के लोगों को शौचालय की सुलभता स्निश्चित हो, साथ ही कोई भी व्यक्ति शौचालय की उपलब्धता से वचिंत न रह जाएं। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेत् निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है-

- 1. स्थल चयन-प्रथम चरण में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेत् अनुसूचित जाति / जनजाति की बाहुल्यता वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा। स्थल चयन की प्रक्रिया निम्नवत है-
 - 1.1 ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर लिया जाये जहां पर अनुसूचित जाति / जनजाति की बाहुल्य वाली आबादी निवास करती हो तथा अनुसूचित

- जाति / जनजाति बाहुल्य आबादी वाली ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें की आवश्यकता हो।
- 1.2 यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि निर्माण हेतु चयनित स्थल लाभ प्राप्त करने वाली आबादी से समुचित दूरी पर हो व आने—जाने की सुगमता हो।
- 1.3 स्थल चयन प्रक्रिया के लिए सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु समुदाय से चर्चा आदि कर स्थल की सहमति ले ली जाए।
- 1.4 भू—राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर चयनित स्थल पर शौचालय निर्माण की सहमति प्राप्त कर ली जाए।
- 1.5 सामुदायिक शौचालय निर्माण वाले स्थल पर जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

2. सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन एवं वित्तीय व्यवस्था-

- 2.1 सामुदायिक शौचालय के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यान्वयन एजेन्सी का चयन करने के लिये सम्बन्धित जिले की जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी को प्राधिकृत किया जाता है।
- 2.2 सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी के द्वारा ग्राम पंचायत/किसी तकनीकी विभाग को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया जाएगा।
- 2.3 भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या—एस—18013/2/2014—O/o Dir (SBM)-Part (4) दिनांक 05.02.2020 के अनुसार परफारमेंस बेस्ड इन्सेन्टिव ग्राण्ट की धनराशि भारत सरकार से शत्—प्रतिशत अनुदान के रूप में है तथा इसके लिये राज्यांश की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड बैंक परफारमेंस ग्राण्ट से सामुदायिक शौचालय निर्माण कराने की दशा में जनपद को उपलब्ध कराई गई पी0आई0जी0एफ0 (परफारमेंस इन्सेन्टिव ग्राण्ट फण्ड) की धनराशि केन्द्रांश के रूप में मात्राकृत है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में कोई अंश नहीं दिया जाना है। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु योजनान्तर्गत कुल अनुमन्य धनराशि रू० 02.00 लाख है। जिसके लिये जनपदों में उपलब्ध पी0आई0जी0एफ0 की धनराशि का उपयोग केन्द्रांश एवं राज्यांश के योग अर्थात् 90 प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा। 10 प्रतिशत् की धनराशि लाभान्वित ग्राम पंचायत द्वारा वहन की जाएगी।
- 2.4 जनपद स्तर से प्राधिकृत क्रियान्वयन एजेन्सी को जनपद द्वारा सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु धनराशि 02 बराबर किश्तों में जारी की जाएगी। 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त के उपभोग कर लिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास खण्ड पर कार्यरत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता से शौचालय की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर द्वितीय किश्त की धनराशि जारी की जाएगी।
- 2.5 सम्बन्धित प्राधिकृत विभाग एजेन्सी को जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी द्वारा शौचालय निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत तक अग्रिम के रूप में दिया जा

सकेगा। जिसका समस्त वित्तीय एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी का होगा।

3. सामुदायिक शौचालय हेतु प्रस्तावित डिजाइन-

सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण, शौचालय सीटों की समुचित संख्या (कम से कम दो सीट महिलाओं के लिए तथा दो सीट पुरूषों के लिए) एवं आवश्यकतानुसार स्नान की जगह उपलब्ध कराते हुए दिवन पिट तकनीक पर किया जा सकता हैं। जोकि रख—रखाव एवं संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी तकनीक है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत सभी सामुदायिक शौचालय परिसरों में प्रस्तावित सीटो में से एक शौचालय की सीट दिव्यांगों के अनुकूल निर्मित करायी जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी ओ०डी०एफ० स्थायित्व (ODF Sustainablity) के संदर्भ हेतु जारी गाइड—लाइन्स पृष्ठ संख्या—13 व 14 के अनुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण निम्नाकित डिजाइन के आधार पर कराया जा सकता है—

- 3.1 संदर्भ हेतु मॉडल डिजाइन (संलग्नक-2)
- 3.2 संदर्भ हेतु मॉडल एस्टीमेट (संलग्नक-3)

4. शौचालयों का रखरखाव एवं अनुरक्षण-

- 4.1 सामुदायिक शौचालयों के परिचालन, अनुरक्षण एवं साफ—सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।
- 4.2 अनुसूचित जाति / जनजाति आबादी वाली ग्रांम पंचायतें जहां सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है वहां के लोगो की एक निगरानी समिति बनायी जाये जो शौचालय निर्माण एवं रख—रखाव का पर्यवेक्षण करें। यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि शौचालय निर्माण निर्धारित समय में हो।
- 4.3 उक्त निगरानी समिति में न्यूनतम 03 व अधिकतम 05 सदस्य रखे जाएगें। जिसमें एक महिला सहित शेष सदस्य शौचालय का लाभ प्राप्त करने वाले समुदाय से होने चाहिए।
- 4.4 यदि लाभान्वित होने वाले परिवारों में कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो समिति में अवश्य सम्मिलित किया जायेगा।
- 4.5 रख-रखाव एवं दैनिक साफ-सफाई का अनुश्रवण निगरानी समिति द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जाएगा।

सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन की प्रक्रिया सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्रारूप—4(क) पर की जाएगी, जिसकी एक प्रति जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एवं एक प्रति विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) कार्यालय पर तथा एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर संरक्षित रखी जायेगी। स्थल चयन की सूचना प्रारूप—4(ख) पर जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति मिशन कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

जनपद द्वारा निर्मित कराये जा रहे सामुदायिक शौचालय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की बेवसाइट पर अनिवार्य रूप से की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि उपरोक्तानुसार सामुदायिक शौचालय के निर्माण का कार्य प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

- संलग्नक— 1. भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन के पत्र।
- 2. मॉडल डिजाइन 02।
- 3. एस्टीमेट 03।
- 4. प्रारूप 4(क) व 4(ख) ।

संलग्ना : मयोवन

भवदीया,

(अनीता सिंह) प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तद्वैव


प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्रo।
- 2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 3. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।
- 4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ०प्र०।
- 6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।
- 7. गार्ड फाइल।

आका से

(जोगेस् प्रसाद)

🗚 संयुक्त सचिव।



Detailed estimate for construction of Community Sanitary Complex

Particulars	Amount		
Earth work in excavation in trenches for foundation	2537.19		
Filling foundation and plinth with cement concrete with 40mm graded metal	7397.14		
Brick masonry in plinth and foundation in cement morter 1:6 1^{α} footing:	28,343.43		
Providing and laying D.P.C course 50 mm thick with R.C.C1:2:4 with 20 mm metal	2,001.38		
Filling foundation and around masonry work with hard moorum including ramming and watering.	671.55		
Brick masonry in super structure in cement morter 1:6	33,148.16		
False work for chhajjas	4,716.58		
12mm thick cement plaster	12,118.80		
Ceramic wall tiles	4,716.58		
Providing and placing roof slabs	5,695.04		
Mild steel plain bars	7,643.54		
Filling under floor and plinth with cement concrete	3,264.35		
Providing and fixing PVC flush door shutters	11,208.24		
Steel ventilators	38,824.60		
White washing	968.79		
RCC roof slab	5,695.04		
Colour washing with snowcem	835.82		
Painting with read mixed paints of approved quality I/c preparing the surface	723.15		
Providing and placing on terrace, polythene water storage tank of approved brand and manufacture with cover etc.comp.	8,600.00		
Providing and fixing of WC Saheet Orissa pattern	3,720.90		
Providing and fixing urinal	7,528.80		
Providing and fixing wash basin	4,057.80		
Add sanitary fitting (4%)	7,698.68		
TOTAL	202115.56		

प्रारूप-4(क)- सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन का प्रमाण पत्र

जनपद-

विकास खण्ड-

ग्राम पंचायत-

राजस्व ग्राम-

सामुदायिक निर्माण हेतु स्थल चयन का आधार-

निर्मित कराये जाने वाले सामुदायिक शौचालय का प्रयोग किये जाने वाले परिवारों की संख्या—

भूमि की उपलब्धता-

भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से प्राप्त सत्यापन आख्या— आबादी से निर्मित कराये जाने वाले सामुदायिक शौचालय की दूरी—

निर्मित कराये जाने वाले सामुदायिक शौचालय के पास जल एवं विद्युत की व्यवस्था— लाभान्वित होने वाले समुदाय के सदस्यों को सम्मिलित करते हुये निगरानी समिति के गठन की स्थिति—

हस्ताक्षर-गठित निगरानी समिति के सदस्य

1	नाम—
2	नाम
3-	नाम
4—	नाम
5—	नाम

हस्ताक्षर— सचिव, ग्राम पंचायत हस्ताक्षर— ग्राम प्रधान हस्ताक्षर— सहा०विकास अधिकारी(पं०) हस्ताक्षर—जि०पं०रा०अ०

सचिव का नाम
ग्राम प्रधान का नाम
सहा0विकास अधिकारी(पं0) का नाम
जि0पं0रा0अ0 का नाम

प्रारूप-4(ख)- जनपद में निर्मित होने वाले सामुदायिक शौचालय की संकलित रिपोर्ट

新 0	जनपद का नाम	विकास खण्ड .	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन का आधार	सामुदायिक शौचालय का प्रयोग किये जाने वाले परिवारों की संख्या	भूमि की उपलब्ध ता (हां/ नहीं)	राजस्व विभाग से प्राप्त सत्यापन आख्या (प्राप्त / अप्राप्त)	सामुदायिक शौचालय के पास जल एवं विद्युत की व्यवस्था (हां / नहीं)	निग रानी समिति के गठन (हां/ नहीं)
1	2	3 ,	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर एवं मुहर जिला पंचायत राज अधिकारी हस्ताक्षर एवं मुहर मुख्य विकास अधिकारी S-18013/2/2014-O/o Dir (SBM)-Part(4)
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Gramin)

4th Floor, Pt. DeendayalAntyodayaBhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003

Date: 05.02.2020

·To,

The Mission Director,
Swachh Bharat Mission (Gramin),
Uttar Pradesh,
Lucknow

विषयः सामुदायिक शौचालय निर्माण हेत् फंडिंग पैटर्न स्पष्ट करने के संबंध में।

Sir,

This is with reference to your Letter No. 5/152/2020-5/127/2018/SBM(G) dated 04.02.2020 on the subject as cited abovewherein the State government requested for the clarification on the Funding pattern for construction of the Community Toilets using the Performance based Incentive Grants.

2. In this respect, I am directed to convey herewith that thePerformance based Incentive Grants are in the form of 100% Grant from the Government of India, and there is no requirement of corresponding funding from the State. Therefore, the State government can follow the sharing pattern of 90:10 (with maximum support per unit for a Community toilet prescribed as Rs. 2 lakhs as per the SBM (G) guidelines) wherein the former corresponds to the Central share of Performance based Incentive Grants and the lattercorresponds to the Community share.

Yours faithfully,

(Magan Lail)

Under Secretary to Govt. of India

Ph No. (011) 24363214

E-mail- magan.lal@nic.in

Copy for information to:

All Principal Secretaries/Secretaries, in-charge of rural sanitation, All States/UTs.

F. No. S-18020/91/2016-SBM Government of India Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water and sanitation

4th Floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan' CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110 003 Dated 10.10.2019

To,

The Chief Secretary, All States/UTs

Subject: Construction of community toilets in villages with predominant SC/ST habitations by 31st December 2019

Madam/Sir

This is in continuation of this Department's letter of even no. dated 31st July, 2019 regarding construction of community toilets in SC/ST predominant habitations.

- 2. In this regard, it is stated that construction of Community Sanitary Complexes in the villages having habitations with predominant SC/ST population is a key factor for ensuring sustainability of Open Defecation Free (ODF) status in such villages.
- 3. Community Sanitary Complexes must be constructed in all such villages with the appropriate number of toilet seats and bathing space, if required. For the construction of Community Sanitary Complexes, at least two seats for male and two for females may be ensured. These complexes must be constructed using the twin pit toilet technology which is easy to operate and maintain. Reference is also invited to this Department's letter of even no. dated 09.08.2016 regarding making provision for accessibility for persons with disabilities in all CSCs constructed under SBM (G). Accordingly, at least one of the above-mentioned toilet seats in these CSCs may be made Divyang friendly and should have easy access for Divyang people. Water facility for use and upkeep of the Community Sanitary Complex must be ensured as part of the Community Sanitary Complex.
- 4. The construction of CSCs in all villages with predominant SC/ST habitations may be taken in mission mode and should be completed by 31st December 2019. A rapid appraisal may be undertaken to identify SC/ST habitations that need a community toilet. Appropriate site for construction of the Community Sanitary Complex be identified in consultation with the community. The location of the Community Sanitary complex must then be publicized in the village. Districts have the flexibility to assign the construction of CSCs to a line Department most suited to undertake this task on priority. All CSCs constructed by the agency necessarily should be geo-tagged and reported to the District.

J. J.

- 5. Financing: The existing World Bank Performance Grants may be used to achieve saturation of SC/ST habitations with community toilets as per the prescribed cost norms of the SBM (G) guidelines. The Department of Drinking Water and Sanitation shall reimburse States the cost of construction of CSCs as per the existing funding pattern.
 - 6. Operation and Maintenance: Operation and maintenance of these CSCs is the responsibility of the Gram Panchayat that proper maintenance and cleanliness is ensured for the sustainable use of such CSCs by the community.

A committee of people from SC/ST habitation that need a community toilet may be constituted to supervise construction and maintenance of the toilet complexes. This committee would also ensure construction of the toilet complex within the prescribed time limit. For ease of maintenance, an individual/Group from the same village where the community toilet is constructed may be made responsible for daily operation and maintenance under the overall supervision and support of Gram Panchayat.

7. You are requested to issue appropriate directions to the concerned authorities to ensure that the construction of CSCs in all villages with predominant SC/ST habitations is taken up in mission mode and is completed within the prescribed timeline.

Yours faithfully.

(Arun Baroka)

Additional Secretary to the Government of India

Phone: - 2436 2192

Email: - arun.baroka@nic.in

Copy to: -

1. ACSs/ Pr. Secy /Secretaries in-charge (Rural Sanitation, and Drinking Water Supply), All States/UTs

2. Mission Directors (SBM-G) - All States/UTs

F. No. S-18020/91/2016-SBM Government of India Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water and sanitation

12th Floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan' CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110 003

Dated: 31.07.2019

To.
The Chief Secretary,
All States/UTs

Subject: Construction of community toilets in villages with predominant SC/ST Habitations by 31st December 2019

Madam/Sir

Swachh Bharat Mission (Gramin) was launched with the aim to achieve universal sanitation coverage by providing access to toilets to all the rural households and to ensure sustainability of its outcome through intense behaviour change campaign, SBM(G) guidelines also emphasize on the significance of equity and inclusion and provide for prioritizing construction of toilets for socially and economically marginalized people and to provide toilets with standard design for households living in areas where it is difficult to construct simple toilets due to high water tables, sandy soils or hard rock etc.

- 2. As SBM(G) is heading towards its deadline, it is important that special efforts be made in the last leg of the Mission to ensure access to toilets for all especially for the socially and economically marginalised households and for those households who are residing in difficult terrain.
- 3. In view of above, it has been felt that construction of Community Sanitation Complexes in the villages having habitations with predominant SC/ST population is one of the key factors for ensuring universal sanitation coverage and sustainability of ODF status in such villages.
- 4. Thus, Community Sanitary Complexes may be constructed in all such villages with appropriate no. of toilet seats and bathing space, if required. For construction of Community Sanitary Complexes in the villages, the States may use handbook for establishment of CSC issued by this Department which is available on the SBM(G) website (URL for the hand book is as follows: https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/writereaddata/images/pdf/technical-notes-manuals/Community-Sanitary-Complex.pdf). In this regard, reference is also invited to this Department's letter of even no. dated 09.08.2016 regarding making provision for accessibility for persons with disabilities in all CSCs constructed under SBM(G). Accordingly, at least one of the toilet seats in these CSCs must be made *Divyang* friendly and should have easy access for *Divyang* people.

Jul,

- 5. Further, it is reiterated that as per SBM(G) guidelines financial assistance of upto Rs. 2 lakhs in the ratio of 60:30:10 can be provided for construction of a CSC. However, the State have the flexibility to meet the additional requirement, if any, from their own funds or from other sources of funds such as 14th FC, CSR etc. Besides, the States can use the existing World Bank Performance Grant to achieve saturation of \$C/ST habitations with community toilets as per the prescribed cost norms of SBM(G) guidelines. Operation and maintenance of these CSCs is the responsibility of the Gram Panchayat and they have to ensure its proper maintenance and cleanliness to ensure sustainable use of such CSCs by the community.
- 6. Construction of CSCs in all the villages with predominant SC/ST habitations may be taken in a mission mode and has to be completed by 31st December 2019. A rapid appraisal may be undertaken to identify SC/ST habitations that need a community toilet. A committee of people from SC/ST habitation that need a community toilet, may be constituted to supervise construction and maintenance of the toilet complexes. This committee should also ensure construction of the toilet complex within the prescribed time limit. However, for ease of maintenance, an individual/Group from the same village where the community toilet is constructed should be made responsible for daily operation and maintenance under the overall supervision and support of Gram Panchayat.
- 7. You are, therefore, requested to issue appropriate direction to the concern authorities to ensure that construction of CSCs in all the villages with predominant SC/ST habitations is taken up in a mission mode and is completed within the prescribed timeline.

Yours faithfully,

(Arun Baroka)

Additional Secretary to the Government of India

Tele: 011-24362192

E-mail: arun.baroka@nic.in

Copy to: - ACS/Pr. Secy/Secy in charge of SBM(G), all States/UTs